

राजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

"अल्पसंख्यक छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना"

- क्या आप अल्पसंख्यक वर्ग (1. मुस्लिम 2. सिक्ख 3. ईसाई 4. बौद्ध व 5. पारसी) से राजस्थान की मूल निवासी छात्रा हैं ?
- क्या आप राजस्थान के राजकीय महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के विभाग में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हैं?
- क्या आपने 12वीं कक्षा वर्ष 2013 में 50 प्रतिशत अथवा स्नातक प्रथम/द्वितीय/तृतीय/स्नातकोत्तर पूर्वाद्ध में 55 प्रतिशत अथवा अधिक अंक प्राप्त किये हैं?
- क्या आपके माता-पिता/अभिभावक/संरक्षक/पति की वार्षिक आय दो लाख रुपये अथवा उससे कम है?
- क्या आप किसी अन्य आर्थिक सहायता अथवा छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रही हैं?

यदि उपरोक्त सभी प्रश्नों के उत्तर 'हां' हैं तो आप राज्य सरकार की "अल्पसंख्यक छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना" हेतु पात्र हो सकती हैं। इस योजना के अन्तर्गत नियमानुसार दुपहिया वाहन स्कूटी (अंकों के आधार पर वरीयता से प्रथम वर्ष स्नातक की प्रथम एक हजार छात्राएं) अथवा दस हजार वार्षिक (स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष की छात्राएं) अथवा बीस हजार वार्षिक (स्नातकोत्तर की छात्राएं) प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है।

स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना हेतु अध्ययनरत राजकीय महाविद्यालय में आवेदन करने की अन्तिम तिथि 14-11-2013 तथा प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालयों द्वारा निदेशालय में जमा कराने की अन्तिम तिथि 29-11-2013 है। पात्रता शर्तों, आवेदन प्रपत्र आदि की विस्तृत जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट देखें जिनके पते निम्नानुसार हैं:-

dce.rajasthan.gov.in तथा collegeeducation.rajasthan.gov.in

योजना की अधिक जानकारी अपने राजकीय महाविद्यालय से प्राप्त करें।

निर्धारित तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

कार्यालय निदेशक, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ23()लेखा/निकाशि/अल्प.छा.स्कूटी वि.एवं.प्रो.रा.यो./2013-14/ 43 दिनांक 01-10-2013

अल्पसंख्यक छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना नियम 2013

1- नाम एवं प्रभावित क्षेत्र:-

- (1) इस योजना का नाम अल्पसंख्यक छात्रा स्कूटी वितरण तथा प्रोत्साहन राशि योजना होगा ।
- (2) यह नियम अल्पसंख्यक समुदाय वर्ग (1. मुस्लिम 2. सिक्ख 3. ईसाई 4.बोद्ध व 5. पारसी) अल्पसंख्यक छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना नियम 2013 कहलायेंगे।
- (3) यह नियम सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावित होंगे ।
- (4) यह नियम 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी होंगे तथा वर्ष 2013-14 के लिए आवेदन करने वाली छात्राओं से मान्य होंगे।

2- परिभाषाएँ :-

- (1) राज्य सरकार से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है ।
- (2) विभाग से तात्पर्य निदेशालय, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार से है।
- (3) प्रमुख शासन सचिव से तात्पर्य प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान से है ।
- (4) निदेशक से तात्पर्य निदेशक, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान से है ।
- (5) प्राचार्यो से तात्पर्य राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों (कला, विज्ञान वाणिज्य, कृषि, संस्कृत), विश्वविद्यालयों, के प्राचार्य से है।
- (6) अल्पसंख्यक छात्रा से तात्पर्य राजस्थान राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक वर्ग (1. मुस्लिम 2. सिक्ख 3. ईसाई 4.बोद्ध व 5. पारसी) की छात्रा जो राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, के विभागों में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हो, से है।
- (6)(अ) विभागाध्यक्ष से तात्पर्य विश्वविद्यालयों के समस्त संकाय विभागों (कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, संस्कृत) के अध्यक्ष से है।
- (7) मूल निवासी से तात्पर्य वह अल्पसंख्यक वर्ग (1. मुस्लिम 2. सिक्ख 3. ईसाई 4.बोद्ध व 5. पारसी) की छात्रा से है, जिसका जन्म राजस्थान राज्य में हुआ है तथा अभ्यर्थी के पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र हो ।

3- योजना का उद्देश्य:-

अल्पसंख्यक वर्ग (1. मुस्लिम 2. सिक्ख 3. ईसाई 4.बोद्ध व 5. पारसी) की छात्राओं को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/ केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षा तथा विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक लाने, उनमें प्रतिस्पर्द्धा की भावना विकसित करने, उच्च अध्ययन हेतु आकर्षित करने एवं उच्च शिक्षा हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध कराने तथा आर्थिक सहयोग प्रदान करना है ।

4- योजना के अन्तर्गत देय लाभ :-

(1) स्कूटी वितरण :- राजस्थान मूल की अल्पसंख्यक वर्ग की वह छात्राएँ जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं (सी. सैकण्डरी) परीक्षा उत्तीर्ण में पूर्णतया 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किये हैं तथा राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हो, उनको 1000 (एक हजार मात्र) स्कूटी स्वीकृत कर निःशुल्क वितरित की जावेगी। नियमित अध्ययनरत छात्राओं को 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण में प्राप्तांक प्रतिशत की वरियता सूची तैयार कर स्वीकृत की जावेगी।

यदि पूर्ण प्रयास करने के उपरान्त भी राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं के आवेदन पूर्ण/सही प्राप्त नहीं होते हैं, तो जितने आवेदन कम प्राप्त होंगे उतनी स्कूटी वरियता सूची के आधार पर राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को स्वीकृत की जा सकेगी।

यह व्यवस्था वर्ष 2013-14 से प्रारम्भ होकर आगामी आदेश तक चालू रहेगी। स्कूटी वितरण के साथ एक वर्ष का बीमा, दो लीटर पेट्रोल (एक बार ही) तथा छात्रा को सुपुर्द करने तक का परिवहन व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जावेगा।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी अंक तालिकाओं में प्राप्तांक प्रतिशत निकाला हुआ होना चाहिए।

स्नातक डिग्री से तात्पर्य बी.ए., बी.काम, बी.एस.सी., बी.एस.सी. कृषि और शास्त्री (स्नातक संस्कृत डिग्री) से होगा।

(2) प्रोत्साहन राशि :- राजस्थान मूल की अल्पसंख्यक वर्ग की वे छात्राएँ जो राजस्थान के राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हैं, उनके द्वारा स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः पूर्णतया 55 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किये हैं। उन्हें क्रमशः द्वितीय वर्ष रु. 10,000/- और तृतीय वर्ष में रु. 10,000/- (रु. दस हजार मात्र) वार्षिक तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष (पी0जी0 डिग्री प्रवेश वर्ष) में रु. 20,000/- (रु. बीस हजार मात्र) वार्षिक तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में पूर्णतया 55 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में रु. 20,000/- (बीस हजार मात्र) वार्षिक बतौर प्रोत्साहन राशि दी जावेगी।

उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने वाली छात्रा को अल्पसंख्यक विभाग की अन्य किसी छात्रवृत्ति योजना में लाभ देय नहीं होगा।

स्नातकोत्तर डिग्री से तात्पर्य एम.ए., एम.कॉम और एम.एस.सी., एम.एस.सी. कृषि और आचार्य (संस्कृत स्नातकोत्तर डिग्री) से है।

5. पात्रता:- पात्रता की निम्न शर्तों की पूर्ति करने पर लाभ देय होगा :-

(1) योजना का लाभ अल्पसंख्यक वर्ग की उन छात्राओं को ही प्राप्त होगा जो राजस्थान की मूल निवासी हैं तथा राजकीय महाविद्यालय, /विश्वविद्यालयों के विभागों, कृषि विश्वविद्यालयों/कृषि महाविद्यालयों, संस्कृत विश्वविद्यालयों / संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हैं।

- (2) छात्रा के माता - पिता/अभिभावक/संरक्षक/ पति की वार्षिक आय रु. 2,00,000/- (रु. दो लाख) से कम होनी चाहिए।
- (3) योजना का लाभ अविवाहित, विवाहित, विधवा तथा परित्यक्ता छात्राओं को देय होगा।
- (4) जिन छात्राओं को अल्पसंख्यक मामलात विभाग की छात्रवृत्ति योजना या अन्य किसी प्रकार की योजना मिल रही हो, उन्हें इस योजना के तहत स्कूटी/ प्रोत्साहन राशि देय नहीं है।

6. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक प्रमाण-पत्र /दस्तावेज :-

- (1) राजकीय महाविद्यालय/विश्वविद्यालयों के विभाग, कृषि विश्वविद्यालय/कृषि महाविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालयों/संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु फीस जमा रसीद की प्रमाणित फोटो प्रति।
- (2) गत वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण की अंक तालिका की प्रमाणित फोटो प्रति।
- (3) मूल निवास प्रमाण पत्र जो राजस्व अधिकारी तहसीलदार द्वारा दिया गया हो, की प्रमाणित फोटो प्रति।
- (4) अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जो राजस्व अधिकारी तहसीलदार द्वारा दिया गया हो, की प्रमाणित फोटो प्रति।
- (5) छात्रा के माता-पिता/अभिभावक/संरक्षक/पति की वार्षिक आय प्रमाण-पत्र छः माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। माता-पिता नहीं होने, पति नहीं, परित्यक्ता होने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही अभिभावक/संरक्षक का आय प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
- (6) छात्रा के एस.बी.बी.जे. बैंक बचत खाता पास बुक की फोटो प्रति जिससे भुगतान सुगमता से हो सकें।

7. आवेदन प्रक्रिया :-

- (1) अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र पूर्णतया: भरकर एवं स्वयं का फोटो चस्पा कर गत वर्ष उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, एडमिशन हेतु फीस जमा रसीद की प्रमाणित छाया प्रतियाँ, एस.बी.बी.जे. बैंक बचत खाता पास बुक की फोटो प्रति तथा आय प्रमाण पत्र के साथ अध्ययनरत महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रति वर्ष निर्धारित तिथि तक जमा कराना होगा। आवेदन पत्र कॉलेज शिक्षा की वेबसाईट www.collegeeducation.rajasthan.gov.in तथा dce.rajasthan.gov.in एवं अल्पसंख्यक मामलात विभाग की वेबसाईट www.minorityaffairs.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
- (2) प्राचार्य महाविद्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की आवश्यक जाँच कर प्रत्येक छात्रा का नाम, पिता का नाम, कक्षा, संकाय, पता अंकित करते हुए प्रमाणित एवं हस्ताक्षर कर निदेशालय कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर में प्रतिवर्ष निर्धारित तिथि तक जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

8. भुगतान प्रक्रिया :-

निदेशालय कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर में प्राचार्यों से प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच कर राजकीय महाविद्यालयों/विश्वविद्यालय के डिग्री प्रथम वर्ष में नियमित अध्ययनरत अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं की 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की प्राप्तांक प्रतिशत के अनुसार वरियता सूची बनाकर प्रथम एक हजार छात्राओं को स्कूटी स्वीकृत की जावेगी।

उपरोक्तानुसार वर्ष 2013-14 से अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को कुल 1000 (एक हजार) स्कूटी स्वीकृत की जाकर वितरित की जावेगी ।

स्नातक डिग्री में नियमित अध्ययनरत् द्वितीय, तृतीय तथा स्नातकोत्तर डिग्री में नियमित अध्ययनरत् छात्राओं के सही आवेदन पत्रों पर प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कर बैंक खातों के माध्यम से भुगतान संबंधी कार्यवाही की जावेगी ।

9. बजट प्रावधान :-

प्रशासनिक विभाग के प्रस्ताव पर आयोजना विभाग की सहमति के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजनान्तर्गत लेखाशीर्ष 2225-04-277-(1)[10]-12(आयोजना) में अतिरिक्त बजट प्रावधान स्वीकृत किया गया है ।

10. आय प्रमाण पत्र के प्रयोजनार्थ :-

आय परीक्षण के प्रयोजन के लिए अविवाहित छात्रा के लिए माता-पिता/अभिभावक एवं स्वयं छात्रा तथा विवाहित छात्रा के लिए पति एवं स्वयं छात्रा, विधवा एवं परित्यक्ता छात्रा की स्थिति में संरक्षक/अभिभावक एवं स्वयं छात्रा की आय को सम्मिलित किया जावेगा ।

- (1) वेतन भोगी कर्मचारी आय का प्रमाण पत्र नियोक्ता अधिकारी से प्राप्त कर संलग्न करें । वेतन भोगी कर्मचारियों की वार्षिक आय से आशय वेतन एवं समस्त भत्तों से है । वेतन भोगी कार्मिकों में राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार / इनके बोर्ड / कोर्पोरेशन, बैंक, एल.आई.सी. कम्पनी तथा फ़ैक्ट्रीज में नियोजित कार्मिक सम्मिलित है ।
- (2) पेंशन भोगी कर्मचारी पेंशन आदेश की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें साथ ही पेंशन एवं मंहगाई भत्तों का प्रमाण पत्र भी संलग्न करें ।
- (3) अन्य स्रोतों से आय के मामलों में आयकर लगने वाले व्यक्ति को आयकर विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करना अनिवार्य है, जिसमें गत वर्ष की वास्तविक आय दर्शायी जानी चाहिए ।
- (4) वेतन/पेंशन भोगी कर्मचारियों के अलावा सभी को राजस्व अधिकारी तहसीलदार से आय प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करना होगा ।

11. नियमों का विनिर्णय :-

इन नियमों की व्याख्या प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर द्वारा की जावेगी जिसका निर्णय अन्तिम होगा ।

नोट :- छात्रा को स्वीकृत स्कूटी का रजिस्ट्रेशन की दिनांक से तीन वर्ष तक विक्रय/बेचान नहीं किया जा सकेगा ।

sd/-

(अशफ़ाक हुसैन)

निदेशक एवं पदेन उप शासन सचिव,
अल्पसंख्यक मामलात विभाग राजस्थान,
जयपुर

राजस्थान सरकार

10. गत परीक्षा में उत्तीर्ण होने का पूर्ण विवरण :

13. क्या छात्रा द्वारा राज्य सरकार/भारत सरकार से अन्य कोई

छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन राशि इस वर्ष प्राप्त की गई है ? (हाँ/नहीं)

(यदि नहीं तो इस संबंध में 10 रुपये के नॉनज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से प्रमाणित कराकर शपथ पत्र संलग्न करें)

मैं (छात्रा का नाम) प्रमाणित करती हूँ कि उपर्युक्त बिन्दु संख्या 1 से 13 तक में अंकित की गई समस्त सूचनाएं पूर्णतया: सही व सत्य हैं। यदि कोई भी सूचना असत्य पाई गई तो मैं स्कूटी की राशि को वापिस राजकोष में जमा कराने का वचन देती हूँ।

दिनांक

छात्रा के हस्ताक्षर

संलग्नक:-

क सं	सत्यापित प्रति	टिक (✓) मार्क करें
1	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सैकण्ड्री प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति	
2	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सीनियर सैकण्ड्री (12वीं) की अंकतालिका 2013 की सत्यापित प्रति	
3	मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति	
4	अल्पसंख्यक वर्ग का जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति	
5	आधार कार्ड की सत्यापित प्रति	
6	वर्तमान उच्च शिक्षण संस्था में अध्ययनरत हेतु फीस जमा रसीद की सत्यापित प्रति	
7	आय प्रमाण पत्र अथवा बी.पी.एल. कार्ड की सत्यापित प्रति	
8	अन्य कोई छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन राशि प्राप्त नहीं की गई है बाबत 10 रुपये के नॉनज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से प्रमाणित करवाकर शपथ पत्र	
	कुल संलग्नकों की संख्या: (शब्दों में लिखें)	

छात्रा के हस्ताक्षर

प्रपत्र-क के साथ संलग्न किया जाना है

संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा
पुत्र/पुत्री श्री ने वर्ष के लिए इस
महाविद्यालय की कक्षा संकाय दिनांक
..... को प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत है एवं उसका महाविद्यालय
का नामांकन नं. है ।
2. छात्र/छात्रा द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2013 की 12वीं की
अंकतालिका जो संलग्न की है उसका मूल अंकतालिका से मिलान कर लिया गया
है, तथा विद्यार्थी द्वारा अंकित प्राप्तांक एवं प्रतिशत सही है ।
3. छात्रा द्वारा दिये गये शपथ पत्र अनुसार कोई छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन राशि प्राप्त नहीं
की जा रही है ।
4. छात्रा द्वारा वांछित समस्त सत्यापित संलग्नक प्रमाण पत्र आदि (कुल संख्या)
आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिये गये हैं ।
5. बिन्दु संख्या 1 से 13 में दी गई समस्त जानकारी का सत्यापन उपरांत स्कूटी
स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है ।

दिनांक

हस्ताक्षर मय सील संस्था प्रधान

"ख"

राजस्थान सरकार

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

अल्पसंख्यक छात्रा प्रोत्साहन राशि योजना हेतु आवेदन पत्र

(केवल स्नातक पार्ट द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर पूर्वाह्न, उत्तरार्द्ध में नियमित अध्ययनरत
अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं के लिए)

वर्ष 2013-14

1. छात्रा का नाम :

2. जन्म तिथि :

(सैकण्ड्री परीक्षा प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

3. पिता का नाम :

4. जाति :

(अल्पसंख्यक वर्ग का तहसीलदार अथवा अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें)

5. पत्र व्यवहार का पता :

.....शहरजिला.....

6. स्थायी पता

.....शहरजिला.....

फोन (एसटीडी कोड) फोन नं. मोबाईल नं.:

7. राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम जिसमें विद्यार्थी का खाता हो

शाखा का नाम शहरजिला.....

आई.एफ.एस.सी. कोड खाता संख्या

8. आधार कार्ड नम्बर

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9. मूल निवास स्थान :

(तहसीलदार अथवा अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें)

10. महाविद्यालय का नाम जहां अध्ययनरत हैं

कक्षा संकाय प्रवेश तिथि

(फीस जमा रसीद की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

प्राचार्य द्वारा सत्यापित
छात्रा की फोटो मय
सील

11. गत परीक्षा में उत्तीर्ण होने का पूर्ण विवरण :

परीक्षा	परीक्षा वर्ष	रोल नं.	संकाय	प्राप्तांक	प्रतिशत	महाविद्यालय का नाम

(अंकतालिका की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

12. माता-पिता/अभिभावक का व्यवसाय :

13. माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय :

(आय प्रमाण पत्र संलग्न करें जो छः माह से अधिक पुराना ना हो)

14. क्या छात्रा द्वारा राज्य सरकार/भारत सरकार से अन्य कोई छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन राशि इस वर्ष प्राप्त की गई है ? (हाँ/नहीं)

..

(यदि नहीं तो इस संबंध में 10 रुपये के नॉनज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से प्रमाणित कराकर शपथ पत्र संलग्न करें)

मैं (छात्रा का नाम) प्रमाणित करती हूँ कि उपर्युक्त बिन्दु संख्या 1 से 14 तक में अंकित की गई समस्त सूचनाएं पूर्णतया: सही व सत्य हैं। यदि कोई भी सूचना असत्य पाई गई तो मैं प्राप्त प्रोत्साहन राशि को वापिस राजकोष में जमा कराने का वचन देती हूँ।

दिनांक

छात्रा के हस्ताक्षर

संलग्नक:-

क सं	सत्यापित प्रति	टिक (✓) मार्क करें
1	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सैकण्ड्री प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति	
2	उत्तीर्ण परीक्षा 2013 की अंकतालिका की सत्यापित प्रति	
3	मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति	
4	अल्पसंख्यक वर्ग का जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति	
5	राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत खाता की पास बुक की फोटो प्रति जिसमें नाम व खाता संख्या एवं कोड (IFSC Code) स्पष्ट अंकित हो	
6	आधार कार्ड की सत्यापित प्रति	
7	वर्तमान उच्च शिक्षण संस्था में अध्ययनरत हेतु फीस जमा रसीद की सत्यापित प्रति	
8	आय प्रमाण पत्र अथवा बी.पी.एल. कार्ड की सत्यापित प्रति	
9	अन्य कोई छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन राशि प्राप्त नहीं की गई है बाबत 10 रुपये के नॉनज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से प्रमाणित करवाकर शपथ पत्र	
	कुल संलग्नकों की संख्या: (शब्दों में लिखें)	

छात्रा के हस्ताक्षर

प्रपत्र-" ख" के साथ संलग्न किया जाना है

संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि छात्रा
पुत्री श्री..... ने वर्ष के लिए इस
महाविद्यालय की कक्षा संकाय दिनांक
..... को प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत् है एवं उसका महाविद्यालय
का नामांकन नं. है ।
2. छात्रा द्वारा वर्ष 2013 परीक्षा उत्तीर्ण की जो अंकतालिका संलग्न की है उसका मूल
अंकतालिका से मिलान कर लिया गया है, तथा छात्रा द्वारा अंकित प्राप्तांक एवं
प्रतिशत सही है।
3. छात्रा द्वारा दिये गये शपथ पत्र अनुसार कोई छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन राशि प्राप्त नहीं
की जा रही है।
4. छात्रा द्वारा वांछित समस्त सत्यापित संलग्नक प्रमाण पत्र आदि (कुल संख्या)
आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिये गये हैं।
5. बिन्दु संख्या 1 से 14 में दी गई समस्त जानकारी का सत्यापन उपरांत प्रोत्साहन
राशि स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है ।

दिनांक

हस्ताक्षर मय सील संस्था प्रधान